कार्यालय जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर

क्रमांकः–सीजी / वाचक / 24 / 1217 दिनांक : 23/08/2024

प्रेषितिः–

मैसर्स कम्बोज ट्रेडर्स,
63 नई धान मण्डी,
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
जरिये अधिकृत प्रतिनिधि प्रेम गोपाल

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विषय : सीगा विविध प्रकरण संख्या 85 / 2024 जीसीएमएस संख्या 2024 / 116 अनवान् श्रीराम सिटी यूनियन फाईनेंस लि. बनाम मै. कम्बोज ट्रेडर्स वगै. निर्णय दिनांक 26.06.2024 पर पुर्नविचार करते हुए आदेश निरस्त करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में ऋणी, जमानतदार अथवा अन्य किसी व्यक्ति को सुने जाने का कोई प्रावधान नही है। ऐसा ही मत माननीय उच्च न्यायालय राज. जोधपुर द्वारा निम्न न्यायिक दृष्टान्त 2016(4) डीएनजे(राज.) 1814 राज. हाईकोर्ट अनवानी पंकज कुमार डगरिया एवं अन्य बनाम जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर एवं अन्य में दिया गया है।

इसलिए आपको सूचित किया जाता है कि आप अपने प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में इस न्यायालय से किसी प्रकार की राहत प्राप्त नहीं कर सकते है। आप अपने प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय के समक्ष चाराजोही करने के लिए स्वतंत्र है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.09.05 17:07:33 IST
Reason: SelfAttested

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर